संख्या- 33/2019/1764/22-2-2018-17(96)/2008

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 33 फरवरी, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद- पीलीभीत की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-07.08.2018) दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी-झाला मरौरी, थाना बिलसन्डा जिला-पीलीभीत का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.04.2001 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राईफल व बन्दूक से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-433,434/2002 धारा 302/149, 364, 147, 148, 307/149, 201/149 आई0पी0सी0 व 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत स्पेशल जज एस0सी0/एस0टी0एक्ट पीलीभीत के आदेश दिनांक 22.09.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.06.2018 तक 17 वर्ष 00 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 06 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गाठित समिति द्वारा बंदी के अपराध के जघन्य अपराध की श्रेणी में होने तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, रिहा होने के बाद भविष्य में अपराध किये जाने की सम्भावना होने के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रक्षपाल सिंह (बंदी संख्या-39957) पुत्र श्री प्यारा सिंह, निवासी जनपद- पीलीभीत की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-33 /2019/1764(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- वरिष्ठ अधीक्षक,केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in